संख्या-47/2025/1/912791/38-2002(002)/3/2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2025**

विषय- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-50बजट/पुनर्विनियोग-प्रस्ताव/2024-25लखनऊ, दिनांक 05 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान के मानक मद 03-महंगाई भत्ता में उपलब्ध बचतों से लेखाशीर्षक-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद में रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्यसरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, **लखनऊ** का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, **लखनऊ** का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018000300 जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3

8- ग्राम्य विकास अनु0-3 ।

9- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

38-2002(002)/3/2024-ग्रामीण विकास अनुभाग-2-ग्रामीण विकास विभाग I/908510/2025

वी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20242025-38-2002-002-3-2024

विषय:- **जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान हेतु धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020300 (मुख्य अधिष्ठान)	03 (महगाई भता)	3,84,68,00,000 रुपये तीन अरब चौरासी करोड अडसठ लाख मात्र	11,19,42,000 रुपये ग्यारह करोड उन्नीस लाख बयालीस हजार मात्र	-75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	7500000 -	38393 00000 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2501018000300 (जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड मात्र	75,00,000 रुपये पचहत्तर लाख मात्र	7500000 -	1375 00000 -	2024-2025

38-2002(002)/3/2024-ग्रामीण विकास अनुभाग-2-ग्रामीण विकास विभाग I/908510/2025

(1) 03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 03 महगाई भत्ता मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 75.00 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत उपलब्ध है।

(2) 03 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों का ग्रेच्युटी का भुगतान मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण धनराशि रू0 75.00 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:आर0ई0 बजट-1-662-2024-25, दिनांक-19 मार्च, 2025

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 30 प0 प्रयागराज।

(प्रहलाद बरनवाल)
सयुक्त सचिव

Signed by
Rajendra Kumar
Date: 19-03-2025 15:58:04
सयुक्त सचिव